

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत महायक कलेक्टर, SDO मुकाम बायतु

हरजु देवी बनाम अनंदराम गरी

किस्म मुकदमा रा. आवे. 111/128 P.K. अ. नं. 89/22 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.3.22	<p>प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>नरपत पुन</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111/128 P.K. अ.</u></p> <p>राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>12.04.22</u> को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>
12.4.2022	<p>प्राथी वकील उपस्थित/ विप्राथीगो के नोटिस तामील कुछा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विमा जजा/ विप्राथीगो कावतु तामील अनु उपस्थित/ त्यापालय समम तान वार कावाज लगाई गई इतिम कावाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्राथीगो स्वयं या उनकी ओर से कोई प्रतिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्राथीगो के विरुद्ध एडवकाट द्वारा वादी कमल में लाई जाली है।</p> <p>पत्रावली वास्ते पत्रावली दिनांक 19/04/2022 को पेश है।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

19/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कमिश्नर  
(SDO) बायतु

न्यायालय  
क्र. : वाद / 2022 / 427  
प्रार्थी  
1. हरखुदेवी पालि  
जाति जाट.  
पटवार

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 427

दिनांक : 27/04/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हरखुदेवी पत्नि चेनाराम वगैरा 04,  
जाति जाट, निवासी नरसाली नाडी,  
पटवार मण्डल कोलु,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. अमेदाराम पुत्र वीरमाराम वगैरा 12,  
जाति जाट, निवासी नरसाली नाडी,  
पटवार मण्डल कोलु,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 89 / 2022

#### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा -नरसाली नाडी, पटवार मण्डल - कोलु, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 878, 879, 1045/880 रकबा क्रमशः 0.0324, 8.0657, 0.0324 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 428-32

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोलु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हरखुदेवी पत्नि चेनाराम वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री अमेदाराम पुत्र वीरमाराम वगैरा 12,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जमादीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/04/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

राजस्थान सरकार

(300) बायतु